

प्रतिभा किरण योजना के लिये कक्षा 12 वी में 60 प्रतिशत के साथ शहर की पाठशाला से शहर में रहकर 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शहर का बी.पी.एल. कार्ड अनिवार्य है।